



झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०,

प्रधान कार्यालय, "सहकार भवन, झालावाड़" एन.एच-12, झालरापाटन-326023
क्रमांक-जेकेएसबी/फा.()नि.एवं प./2017-18/ 3845

दिनांक : 14 SEP 2017

शाखा प्रबंधक,
सहा.अधि.अधि./ऋण पर्यवेक्षक,
झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,
शाखा/क्षेत्र -

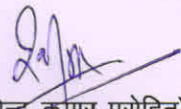
विषय:- संशोधित सहकार किसान कल्याण योजना के क्रियान्वयन बाबत।
प्रसंग:- शीर्ष बैंक का पत्र क्रमांक 5347 दिनांक 19.08.2017

रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक फा.() सविरा/बैंक-2/सुराज संकल्प/2015 दिनांक 17.08.2017 पूर्व में अनुमोदित सहकार किसान कल्याण योजना में संशोधन किया गया है। जिसमें प्रमुख संशोधन निम्नानुसार है :-

1. पूर्व में अनुमोदित सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत अधिकतम 20.00 लाख रु. तक का ऋण स्वीकृत किया जा रहा था। संशोधित योजना में अधिकतम ऋण सीमा 10.00 लाख रु. की गई है।
2. सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत साख सीमा/ सावधि ऋण पर ब्याज दर 11.50 प्रतिशत वार्षिक थी। संशोधित योजना में इसे 11.00 प्रतिशत की गई है।
3. सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत साख सीमा के रूप में अधिकतम 5.00 लाख रु. तक का ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान था, जिसे संशोधित योजना में 2.50 लाख रु. किया गया है।
4. संशोधित सहकार किसान कल्याण योजना में कृषि उपज समिति में प्लेज कर ऋण सुविधा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

योजना की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि भविष्य में ऋण पत्रावलियां संशोधित योजना के अनुसार ही तैयार करवाई जाएं।

संलग्न :- उक्तानुसार


(रविन्द्र कुमार पुरोहित)
प्रबन्ध निदेशक